SIOFA में भारत के प्रवेश को मंजूरी: महासागरीय मत्स्य संसाधन और जवाबदेही

GS-2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ | GS-3 नीली अर्थव्यवस्था | समाचार संदर्भ: 14 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 19 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

14 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार ने Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) में भारत के accession को मंजूरी देने की सूचना दी। यह खुले महासागर के मत्स्य संसाधनों और उनके प्रबंधन में भारत की भूमिका के लिए महत्त्वपूर्ण है। घरेलू मंजूरी को अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया पूरी होने और पूर्ण पक्षकार बनने का अपने आप प्रमाण नहीं मानना चाहिए। घोषणा में भारत को अभी Cooperating Non-Contracting Party (CNCP) बताया गया है। पढ़ी गई SIOFA पक्षकार-सूची भी भारत को CNCP दिखाती है।

पहले बुनियादी बातें

खुला महासागरराष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर के महासागरीय क्षेत्र का संदर्भ; इसका अर्थ मत्स्य संसाधनों पर कोई नियम न होना नहीं।

क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधनसंबंधित क्षेत्र और प्रजातियों के संरक्षण तथा उपयोग के लिए देशों का सहयोगी संस्थागत प्रबंध।

IUU मत्स्यन Illegal, Unreported and Unregulated fishing: अवैध, बिना सूचना दिए और अनियमित मत्स्यन।



आरेख: PIB और SIOFA की जानकारी पर आधारित pcsmantra.com का मौलिक अवधारणा-चित्र।

SIOFA और IOTC में क्या अंतर है?

PIB के अनुसार हिंद महासागर में दो प्रमुख मत्स्य प्रबंधन व्यवस्थाएँ SIOFA और Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) हैं। IOTC अत्यधिक प्रवासी टूना और टूना-जैसी प्रजातियों से संबंधित है; भारत 1996 से इसका पक्षकार है। SIOFA की संसाधन-परिधि अलग है। इसलिए किसी एक व्यवस्था की सदस्यता को सभी समुद्री प्रजातियों और सभी समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार नहीं माना जा सकता।

किन संसाधनों पर ध्यान है?

SIOFA क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों में मछलियाँ, मोलस्क और क्रस्टेशियन जैसे समूह शामिल हैं। लेकिन UNCLOS के परिशिष्ट-I की अत्यधिक प्रवासी प्रजातियाँ और तटीय राज्यों के मत्स्य अधिकार-क्षेत्र में आने वाली अनुच्छेद 77(4) की स्थिर प्रजातियाँ बाहर हैं। मंत्रालय ने स्क्विड, टूथफिश और अल्फोंसिनो जैसे संसाधनों का उदाहरण दिया है। ये उदाहरण अधिकृत और टिकाऊ मत्स्यन के संदर्भ में हैं, बिना शर्त दोहन की अनुमति नहीं।

CNCP से पूर्ण पक्षकार बनने का संभावित महत्त्व

भारत 2022 से सहयोगी गैर-संविदाकारी पक्ष रहा है। मंत्रालय के अनुसार इस स्थिति में निर्णयों में भागीदारी सीमित है। पूर्ण संविदाकारी पक्ष बनने पर वैज्ञानिक और अनुपालन समितियों में अधिक पूर्ण भागीदारी तथा वैज्ञानिक आँकड़ों, अनुसंधान और मत्स्य-भंडार आकलन तक पहुँच बढ़ सकेगी। यह संभावित संस्थागत लाभ है; मंजूरी की घोषणा मात्र से मत्स्य-बेड़े की क्षमता, पकड़ या आय बढ़ जाने का निष्कर्ष नहीं निकलता।

निरीक्षण योजना की अवस्था भी अलग है

घोषणा में High Seas Boarding and Inspection (HSBI) योजना को अपनाया हुआ और क्रियान्वयन के लिए निर्धारित बताया गया है। इसलिए इसे पहले से सभी परिचालन अधिकारों के साथ लागू भारतीय निरीक्षण व्यवस्था नहीं लिखा जा सकता। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य सहयोगी निगरानी और अनुपालन को समर्थन देना है; उसका वास्तविक संचालन संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।

नीली अर्थव्यवस्था की अवसर-शर्तें

दूर समुद्र में मत्स्यन आर्थिक अवसर दे सकता है, लेकिन टिकाऊ उपयोग के लिए वैज्ञानिक भंडार-आकलन, विश्वसनीय पकड़-रिपोर्टिंग और अनुपालन जरूरी हैं। बेड़े का विस्तार संसाधन-संरक्षण से अलग लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भारत के लिए प्रश्न केवल अधिक पकड़ नहीं, उपयुक्त तकनीक, संस्थागत क्षमता और नियमों के पालन के साथ दीर्घकालीन अवसर बनाना है। यह नीतिगत विश्लेषण है, घोषित अतिरिक्त बजट या सिद्ध लाभ का आँकड़ा नहीं।

परीक्षा में तीन गलतियाँ न करें

- **अवस्था:** घरेलू accession-मंजूरी को जमा किया गया accession-पत्र या पूर्ण पक्षकार स्थिति का स्वतंत्र प्रमाण न मानें।
- **अधिकार-क्षेत्र:** SIOFA, IOTC और तटीय राज्य के अधिकारों को एक न करें।

- **परिणाम:** नए अवसर और वैज्ञानिक सहयोग को तत्काल अधिक आय या निर्बाध मत्स्यन की अनुमति न बताएँ।

प्रारंभिक परीक्षा: याद रखने योग्य तथ्य

- **घोषणा:** 14 अक्टूबर 2026 को SIOFA accession की घरेलू मंजूरी की सूचना।
- **भारत की स्थिति:** PIB में 2022 से CNCP; पढ़ी गई SIOFA सूची में भी CNCP।
- **SIOFA बनाम IOTC:** संसाधन-परिधियाँ अलग; IOTC टूना और टूना-जैसी अत्यधिक प्रवासी प्रजातियों से संबंधित।
- **अपवर्जन:** UNCLOS परिशिष्ट-I की अत्यधिक प्रवासी प्रजातियाँ तथा तटीय अधिकार-क्षेत्र वाली अनुच्छेद 77(4) की स्थिर प्रजातियाँ।
- **HSBI:** योजना अपनाई गई, क्रियान्वयन अपेक्षित; सभी शक्तियाँ पहले से परिचालित मानना सही नहीं।

मुख्य परीक्षा: उत्तर की रूपरेखा

- **परिचय:** महासागरीय संसाधनों के अवसर और साझा संरक्षण की जरूरत रखें।
- **मुख्य भाग:** SIOFA की परिधि, भारत की भागीदारी और वैज्ञानिक-अनुपालन लाभ समझाएँ।
- **विश्लेषण:** घरेलू मंजूरी और अंतरराष्ट्रीय सदस्यता-प्रक्रिया का अंतर, IUU रोकथाम तथा टिकाऊ उपयोग जोड़ें।
- **निष्कर्ष:** नीली अर्थव्यवस्था को वैज्ञानिक प्रबंधन और जवाबदेह क्षमता-विकास से जोड़ें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास: क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन व्यवस्थाएँ आर्थिक अवसर और समुद्री संसाधन-संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बना सकती हैं? SIOFA के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत

मत्स्य मंत्रालय, PIB: भारत के SIOFA accession को मंजूरी, 14 अक्टूबर 2026

SIOFA: पक्षकार और प्रतिभागियों की वर्तमान पढ़ी गई सूची